न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ. भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना–पत्र (ट्रांसफर) संख्याः 15/2023

दायर दिनांकः 27.09.2023

आदेश दिनांक 09.02.2024

–:अनवानः–

1. देवीलाल पिता स्व. श्री नाथुलाल सुथार जाति सुथार आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम बागोल तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. हिम्मतलाल पिता स्व. श्री नाथुलाल सुथार जाति सुथार आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम बागोल तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. मोहन बाई पत्नि स्व. श्री नाथुलाल सुथार जाति सुथार आयु व्यस्क निवासी ग्राम बागोल तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

–:बनामः–

1. श्रीमति सुन्दरबाई पिता स्व. श्री चम्पालाल जी सुथार जाति सुथार आयु 72 वर्ष निवासी नाथद्वारा हाल निवासी अम्बेरी तह. गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्रीमति रूपा पिता स्व. श्री चम्पालाल जी सुथार जाति सुथार आयु 70 वर्ष निवासी नाथद्वारा हाल ग्राम उपली ओडन तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. श्रीमति भंवरी पिता स्व. श्री चम्पालाल जी सुथार जाति सुथार आयु 65 वर्ष निवासी नाथद्वारा हाल ग्राम बागोल तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिए श्री तहसीलदार नाथद्वारा
5. श्री सब रजिस्ट्रार, पंजीयन कार्यालय नाथद्वारा

——— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी</u>

उपस्थित :–

1– श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री प्रदीप पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी
3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण द्वारा एक वाद न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर नाथद्वारा में घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन स्थाई निल्याझा एवं आदेशात्मक आज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसका उनवान सुन्दरबाई वगैरह बनाम धापूबाई वगैरह प्रकरण संख्या 208/2010 होकर उक्त वाद साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित है एवं जिसमें आगामी दिनांक 12–09–2023 नियत है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 01 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रकरण को प्रारम्भिक तनकी के आधार पर निर्णीत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया एवं प्रकरण करीब एक वर्ष से विपक्षीगण/वादीगण के जवाब में लम्बित था एवं

विपक्षीगण/वादीगण जानबूझकर प्रकरण को विलम्बित करने के आशय से जवाब प्रस्तुत ही नही किया जा रहा था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 01 पर पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के समक्ष बहस भी की गई परन्तु आदेश लिखवाए जाने के पूर्व उनका स्थानान्तरण होने से प्रकरण पुनः बहस प्रार्थना पत्र के स्तर पर अंकित हो गया। दिनांक 16–08–2023 को वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को वादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाकर बिना प्रार्थीगण को बहस करने एवं सुसंगत न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करने का अवसर दिए केवल वादीगण/विपक्षीगण के तर्को पर मनन करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जबकि उस दिन वादी के अधिवक्ता सिविल न्यायालय परिसर नाथद्वारा में उपस्थित थे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता जब न्यायालय आए तो जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आवश्यक कार्य से जल्दी जाना पड़ा है जिस पर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय स्टाफ से नाथद्वारा कार्यालय में जाकर प्रार्थीगण के प्रकरण की आगामी तारीख पूछी तो आगामी तारीख 22–08–2023 बताई गई तब तक प्रकरण की आदेशिका में कोई अकन नहीं था एवं आदेशिका रिक्त थी किन्तु आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 16–08–2023 को दोपहर पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने चेम्बर में उक्त प्रकरण की पत्रावली मंगवाकर प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की गैरहाजिरी बताकर एवं बिना वादी के प्रत्युत्तर को पत्रावली पर लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर प्रकरण में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रकरण को निस्तारित करने में अनावश्यक रूप से जल्दबाजी की जा कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कार्य किया जा रहा है एवं प्रकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं विरोधी पक्षकारों की मिलीभगत की पूर्ण आशंका है जिससे प्रार्थीगण को अब उक्त न्यायालय पर विश्वास नहीं रह गया है। उपरोक्त कारणों से प्रकरण की सुनवाई किसी अन्य सक्षम न्यायालय से करवाया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हो गया है ताकि प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य वाद की सुनवाई को लम्बित करना कदापि नही है एवं प्रकरण को जिस भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाया जायें वाद के दोनों पक्षकारो एवं पीठासीन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में शीघ्र निपटान करने हेतु भी न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्देश जारी किए जाए। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरण कराने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विपक्षी को तलब किया गया । विपक्षी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज करा प्रार्थना पत्र का-जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में विपक्षी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय रेकार्ड से विपरित तथ्यों का अंकन किया है प्रकरण विगत 13 वर्षो से पेडींग होकर वादी की ओर से कभी विलंबित नहीं किया जाकर वादी सदैव कार्यवाही हेतु अग्रसर रहे हैं जिसमें प्रार्थी की उदासीनता के कारण सदैव विलम्ब हुआ है जो प्रकरण की आदेशिका से स्पष्ठ है। प्रार्थी के विरुद्ध हस्तगत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही वर्तमान में अमल में नहीं लाई गई है गुणावगुण के आधार पर किसी भी आदेश निर्णय के विधि में प्रावधान है जिनका प्रयोग कर प्रार्थी पारित आदेश को चुनौति देने के बजाय विपक्षीगण पर दूरभि संधि के मनगढन्त आरोप अधिरोपित कर रहा है जो सर्वधा अस्वीकार्य है। प्रश्नगत प्रकरण 13 वर्ष से भी अधिक पुराना होकर प्रकरण में वादीगण ग्रामीण अशिक्षित कृषक गरीब वर्ग की महिलाएं है जिनका न्यायिक व्यवस्था पर पूरा पूरा भरोसा होकर नाथद्वारा से बाहर अनावश्यक दौड भाग कर धन का व्यय करने में असमर्थ है इसलिये प्रकरण को नाथद्वारा से दूरस्थ सुनवाई नहीं कराई जायें। राजकीय अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ती प्रस्तुत नही की हैं।
पक्षकारान को सुना गया प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 धापू का स्वर्गवास होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई दोनों पक्षकारो ने जाहिर किया कि धापू का स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके वारिसान उत्तराधिकारी पूर्व से ही रिकार्ड पर है इसलिए विपक्षी संख्या 01 धापू का नाम विलोपित किया जावे। पक्षकारान की सहमति से एवं धापू के वारिसान उत्तराधिकारी प्रकरण में पूर्व से ही पक्षकार होने से धापू का नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते है

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ताओं की बहस में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने पर सहमति दी गयी। जिस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण 13 वर्षो से भी अधिक पुराना होकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसे स्थानान्तरण हेतु अन्य सहायक कलक्टर, के यहा पर ट्रांसफर कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण का प्रतिवादी है, प्रकरण में वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली के अवलोकन तथा विपक्षी अधिवक्तागण के बहस में प्रकरण अन्य न्यायालय स्थानान्तरण करने पर अनापत्ति जाहिर करने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से सहायक कलक्टर, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) नाथद्वारा में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा एव सहायक कलक्टर, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) नाथद्वारा को प्रेषित करे।

Bhanwar

(डॉ.भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 09.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bhanwar

(डॉ.भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर